कुमार आश्रम, मेरठ, को दिये गये 8,73,392 रुपए के कुल अनुदानों मे से किये गये व्यय की कोई जाच की गई है।

(ख) यदि हा, तो क्या कोई अनियमितताए पाई गई है, और

(ग) इन सस्थाओ ने किन विभिन्न मदों पर धन खर्च किया ?

समाज कल्याण विभाग मे राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुहा) : (क) ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद के 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 के वर्षों के लेखों की इस विभाग ने जाच की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लेखो की जाच सामान्यतया स्थानीय निधि लेखों के परीक्षक द्वारा की जाती है। कुमार आश्रम के संबध मे कोई जाच नही की गई है क्योकि उसे केवल एक साल के लिये सहायक अनुदान दी गई थी।

(ख) कुछ तकनीकी भूलो को छोड़कर सरकार को अब तक किसी अनियमितता का पता नही चला है।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद :— अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये प्रचार।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय — भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की परीक्षाओं मे भाग लेने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वास्ते परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।

कुमार आश्रम, मेरठ :—सरदार पटेल भवन के निर्माण, नल-कूप लगवाने तथा फर्नीचर खरीदने के लिए।

गाजीपुर के अफीम कारखाने के कर्मचारियों को उत्पादन बोनस

2585. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक सामली :

क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के अफीम कारखाने के कर्मचारियों को इस वर्ष उत्पादन बोनस नही दिया गया है,

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारखाने के अधिकारियो ने कर्मचारियो को उत्पादन बोनस दिये जाने के बारे मे अपनी सिफारिशे भेजी है, और

(घ) यदि हा, तो इस मामले मे सरकार को निर्णय करने मे कितना समय लगेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, हा। कर्मचारियो को अफीम वर्ष 1965–66 (1–10–1965 से 30–9–1966 तक) का उत्पादन बोनस नही दिया गया है।

(ख) कर्मचारियो को उत्पादन पुरस्कार इस लिए नही दिया गया कि इनाम की अदायगी के लिए निर्धारित उत्पादन-प्रतिमानो की पूर्ति अफीम वर्ष 1965–66 मे नही की गयी थी।

(ग) और (घ). कारखाना अधिकारियो ने वर्ष 1965–66 के लिए उत्पादन पुरस्कार देने की सिफारिश नही की है। लेकिन गाजीपुर अफीम कर्मचारी सघ ने इसकी अदायगी के बारे मे अभ्यावेदन किया था। चूकि प्रतिमानो की पूर्ति नही हुई थी इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नही की गयी।

अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को आयकर की राहत

2586. **श्री इसहाक सामली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक बच्चों

वाले व्यक्तियों को आयकर के मामले में राहत दी गई थी ,

(ख) यदि हां, तो उसकी सीमा क्या थी , और

(ग) क्या यह भी सच है कि बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिये सरकार का विचार इस नियम को समाप्त करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। वार्षिक वित्त अधिनियमों में, और वाला के साथ साथ, निवासी व्यक्तियों को उनके आश्रित बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आय कर में राहत देने की व्यवस्था रहती है। यह राहत केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है।

(ख) वित्त (सं० 2) विधेयक, 1967 के अन्तर्गत व्यक्तिगत छूटों के बारे में आयकर में दी गयी राहत सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रख दिया गया देखिये संख्या एल० टी० 682/67]

(ग) जी, नहीं।

Upgradation of Patna

2587. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) the distance between Vindhyachal and Mirzapur,

(b) whether Vindhyachal and Mirzapur were clubbed together for the purpose of categorisation in 'C' class cities,

(c) the distance between Patna Municipal Corporation and Phulwari Shariff and Patna Municipal Corporation and Danapur Nizamah Municipality:

(d) whether Government of Bihar have communicated that Phulwari Shariff and Danapur Nizamah Municipality are quite contiguous to Patna Municipal Corporation under their letter No 3543/LSG, dated the 21st May, 1966, and

(e) if the replies to parts (b) and (d) above in the affirmative, the reasons for not taking the population of Phulwari Shariff and Danapur Nizamah Municipality for upgradation of Patna?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b) Mirzapur and Vindhyachal form parts of the same Municipality, shown as Mirzapur-cum-Vindhyachal in 1961 Census report, with a population of 1,00,097. Accordingly, it has been classified as a 'C' class city

(c) and (d) Patna Municipal Corporation and Phulwari Shariff Union bard are contiguous Government of Bihar had indicated that Dinapur was contiguous to Patna for 'all practical purposes" However, the map received from them revealed that Dinapur Nizamat Municipality is not contiguous to Patna Municipality.

(e) For purposes of classification of a city for the grant of house rent and city compensatory allowances its population and that of its contiguous municipalities, notified areas and cantonments are taken into account The population of Phulwari Shariff which is only a Union Board cannot be taken into account for purposes of classification of Patna

Bunds on Jamuna

2588. Shri Abdul Ghani Dar: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state

(a) whether the State Government of Haryana have approached the Central Government for financial assistance for constructing bunds at Jamuna river in Faridabad and Ballabhgarh area, as a flood control measures; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto?